

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक एफ 1(1)आ0प्र0एवंसहा/सामान्य/2016/3863-96 जयपुर,दिनांक 20.3.2018

जिला कलेक्टर,
बाडमेर, जोधपुर, जालोर,
पाली, सिरोही, राजस्थान।

विषय:—खरीफ फसल 2017 (संवत् 2074) में बाढ़ प्रभावित किसानों को
कृषि आदान अनुदान वितरण बाबत दिशा निर्देश।

महोदय,

राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के
सहायता के मानदण्डों में बोई गई फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक का खराबा होने पर
कृषि आदान अनुदान उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रावधान है।

इस हेतु निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:—

1. जिला कलेक्टर द्वारा प्राथमिकता से पहले केवल 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत खराबा
वाले पात्र लघु सीमान्त (SMF) काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान सहायता उपलब्ध
कराई जावेगी।
2. जिला कलेक्टरों द्वारा कृषि आदान अनुदान वितरण हेतु एस.डी.आर.एफ. के निर्धारित
मापदण्डानुसार दिये जा रहे निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए सहकारी समितियों
के बजाय सीधे ही पात्र काश्तकारों के बैंक खातों में ऑनलाईन (Online) जमा किया
जायेगा।
3. कृषि आदान अनुदान वितरण हेतु समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है:—
जिला स्तरीय समिति:—जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन
किया जाएगा, जो कि जिले में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगी।
समिति में MDCCB, कृषि एवं लीड बैंक ऑफिसर्स व DLBC के मैम्बर्स होंगे। इस
समिति के द्वारा इस योजना के संबंध में सभी प्रकार के निर्णय/निर्देश एवं शिकायतों
का निस्तारण किया जायेगा।



उपखण्ड स्तरीय उपसमिति:-उपखण्ड स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में कृषि व BLBC के मैम्बर्स की एक उप समिति का गठन किया जायेगा जो कि अपने क्षेत्र में इस योजना के सुचारु क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी रहेगी।

ग्राम स्तरीय समिति:-इस समिति में सम्बन्धित गांव का पटवारी, ग्राम सेवक व कृषि पर्यवेक्षक सदस्य होंगे जो कि गांव में इस योजना की क्रियान्विति के लिए उत्तरदायी होंगे।

4. कृषि आदान अनुदान सहायता के लिए जमाबन्दी एवं गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर दो हैक्टर तक भूमि धारिता वाले काश्तकार एवं दो हैक्टर से अधिक भूमि धारिता वाले काश्तकार की 6 सूचियां पृथक्-पृथक् निम्न प्रारूप में तैयार की जाएगी:-

कृषि आदान अनुदान हेतु पात्र कृषकों की सूची

ग्राम..... पटवार हल्का.....तहसील.....

लघु व सीमान्त कृषक/अन्य कृषक

खराबा 33-50%/50-75%/75-100%

क्र. सं.	कृषक का नाम	जमाबन्दी के आधार पर धारित कुल रकबा (हैक्ट. में)	गिरदावरी के आधार पर बोया गया कुल रकबा (हैक्ट. में)	बोये गये क्षेत्रफल में से रकबा खराबा (हैक्ट. में)	एसडीआरए फ/एनडीआरए फ मानदण्डों के अनुरूप देय अनुदान	बैंक खाते का वितरण			अन्य विवरण		
						बैंक मय शाखा का नाम	IFSC Code	काश्तकार का बैंक खाता संख्या	भामाशाह कार्ड विवरण*	आधार कार्ड विवरण	मोबाईल नम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

पटवारी स्तर पर कार्यवाही एवं जांच-प्रथम स्तर जांच

- इसी प्रकार पटवारी स्तर पर प्रथम स्तरीय जांच में उनके हल्के के कई गांवों में किसी काश्तकार की भूमि होने अथवा एक ही गांव में कई खातों में भूमि होने अथवा अन्य जिले में भूमि होने बाबत प्राथमिक जांच कर पात्र काश्तकारों की निर्धारित मापदण्डों अनुसार अधिकतम दो हैक्टर का अनुदान वितरण हेतु सूचीयां तैयार करने की कार्यवाही की जावेगी।
- पटवारी द्वारा तैयार की गई सूचीयों को ग्राम स्तरीय समिति के माध्यम से भू अभिलेख निरीक्षक के सत्यापन पश्चात तहसील में प्रेषित किया जावेगा।

Gera

तहसील स्तर पर कार्यवाही एवं द्वितीय स्तरीय जांच

- तहसील स्तर पर जांच हेतु ग्रामवार प्राप्त सूचीयों को कम्प्यूटराईज करवाया जा कर एक्सेल फाईल में निम्न फॉर्मेट (अंग्रेजी) में सूचना तैयार की जावे।

S.No.	Name	Father Name	Address	Amount	IFSC (11 Digit)	Bank Account No.	Aadhar No.	Mobile No.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- उक्त सूचना तैयार करते समय कॉलम संख्या 1 से 9 तक की सूचना अंग्रेजी फॉन्ट Times New Roman अथवा Arial का ही उपयोग किया जाना, सूची के कॉलम संख्या 7,8,9 में सूचना बिना किसी Extra Formating/Special Character/Hifen/ अतिरिक्त Space के Normal Type में Cell Formar Numeric Type में होना सुनिश्चित किया जावे।
- सर्व प्रथम तहसील स्तर पर डुप्लीकेट एन्ट्री हटाई जावेगी तत्पश्चात फिल्टर की गई सूचीयों को अन्तर तहसील डुप्लीकेशन जांच हेतु जिला स्तर पर प्रेषित की जावेगी।

जिला स्तर पर कार्यवाही एवं जांच-तृतीय स्तरीय जांच

- तहसीलो से प्राप्त एक्सेल फाईल डेटा को जिला स्तर पर dbForge Studio Software का प्रयोग करके इसे SQL Database में Convert किया जावे।
- Duplicate प्रविष्टियों की जांच हेतु निम्न Queries का उपयोग किया जावे।
Query One – Same name, father name, bank A/C, aadhaar
Query Two – Same Aadhar No. or Same Bank Account No.
Query Three – Same name and father name duplicate at same village
Query one, two and three के आधार पर प्राप्त प्रविष्टियां मूल सूची में से क्रमशः हटाकर शेष प्रविष्टियों की अन्तिम सूची तहसील को प्रेषित की जावे। उक्त तीनों Query की फाईल भी जांच हेतु पृथक-पृथक तहसीलों को भिजवाई जावे।
- इसके अतिरिक्त Query Four-Same name and Father name with different village whole District के आधार पर Duplicate Data की सूची पृथक से तैयार कर भुगतान के समय ध्यान रखा जावे।
- उपरोक्त प्रक्रिया से फिल्टर किये जाने के पश्चात भुगतान योग्य पाई जाने वाली अन्तिम फिल्टर सूची सी.सी.बी. में लाभान्वितों के खातों में सीधे ऑनलाईन हस्तानान्तरण हेतु प्रेषित की जावे। सी.सी.बी. को केवल पात्र काश्तकारों की वही सूची जिसमें आधार नम्बर, बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड अंकित हो प्रेषित की जावे ताकि आधार इनेब्लड (Enabled) खातों में कृषि आदान अनुदान का सीधा हस्तानान्तरण किया जा सके। किसी भी स्थिति में सी.सी.बी. में कलक्टर (सहायता) के

(Signature)

बैंक खाते में कृषि आदान अनुदान हेतु जमा कराई गयी राशि का सी.सी.बी. की मुख्य शाखा से किसी अन्य शाखा/जीएसएस/लेम्पस आदि में हस्तानान्तरण नहीं की जावेगी। केवल सीधे प्रभावित काश्तकारों के बैंक खातों में ही हस्तानान्तरण की जावेगी, यह भी सुनिश्चित किया जावे की किसी भी स्थिति में किसी भी लाभान्वित काश्तकार को नकद भुगतान नहीं किया जावे। यदि नकद भुगतान का एक भी प्रकरण सामने आया तो मुकदमा दर्ज कराया जावेगा और जिम्मेदारी निर्धारित की जावेगी। इस संबंध में सी.सी.बी. को स्पष्ट निर्देश दिये जाकर उक्तानुसार पालना सुनिश्चित की जावे।

तहसील स्तर पर ग्रामवार कृषकों के बैंक खातों की फाईल संधारित (maintain) की जाएगी। जिसमें इन्डेक्स में alphabetically कृषक का नाम रहेगा व कृषकों के बैंक खाता विवरण की फोटो कॉपी संधारित (maintain) रहेगी। तहसीलदार से स्वीकृति के उपरान्त पटवारी द्वारा ग्राम सचिव व कृषि पर्यवेक्षक के सहयोग से पात्र कृषकों की सूची एवं उनको स्वीकृत की गयी राशि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चरपा करेगा एवं इस सम्बन्ध में समस्त प्रक्रिया पारदर्शी होगी। इसके साथ ही तहसीलदार द्वारा अपनी तहसील के लिए इसी आधार पर आवश्यक बजट की मांग जिला कलक्टर से की जावेगी।

सहायता के लिये पात्र काश्तकारों की संख्या निर्धारित कर विभाग को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रेषित की जायेगी तथा उन्हीं पात्र काश्तकारों को सहायता वितरित हो, यह सुनिश्चित किया जावे।

5. इस प्रयोजन हेतु **उसे ही काश्तकार माना जावेगा, जिसका नाम जमाबंदी में खातेदारी/सहखातेदार के रूप में दर्ज होगा।** सहखातेदार के हिस्से में आने वाले नोशनल हिस्से की गणना कर उसकी जोत (Holding) का आकार निकाला जावेगा। इसमें सभी काश्तकार के एक अथवा अधिक गांवों में विद्यमान सभी खातों को ध्यान में रखना होगा।
6. ऐसे कृषकों को भी कृषि आदान अनुदान दिया जा सकता है, जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है, किन्तु जिन्होंने भूमि पर ठेकेदारी/बाटेदारी से फसल की है। ऐसे किसान जिन्होंने ठेकेपर फसल की है, वह बोई गई भूमि के खातेदार से 5/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति प्राप्त कर तहसील स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार की समस्या के निर्णय हेतु सम्बन्धित तहसीलदार, ग्राम पटवारी तथा ग्राम सेवक की एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाए। यह समिति इस प्रकार के बिन्दुओं पर निर्णय लेकर निर्धारण करेगी कि राहत किसे दी जानी है। इसके लिए कृषक को अपने खातेदार की लिखित सहमति इस समिति को देनी होगी।



7. **खातेदार जिले से बाहर का निवासी होने के संबंध में:**— यदि जिले में स्थित किसी कृषि भूमि की बुवाई की गयी है तो उसमें प्रभावित कृषक को फसल खराबे पर अनुदान दिये जाने के लिए उस कृषक का उसी जिले का निवासी होना जरूरी नहीं है। परन्तु कृषक से यह शपथ पत्र लेना जरूरी है कि अन्य जिलों में उसकी कोई कृषि भूमि नहीं है। किन्तु अन्य जिले में कृषि भूमि होने की स्थिति में उसके आधार पर गणना कर, पात्र होने पर ही जिले में स्थित खराबा क्षेत्र के आधार पर अनुदान दिया जाना है।
8. **गैर खातेदारी के संबंध में:**—गैर खातेदार को भी खातेदार के समान ही अनुदान हेतु पात्र माना जावे।
9. **मृतक खातेदार:**—मृतक खातेदारों की भुगतान योग्य राशि का भुगतान उनके वैध उत्तराधिकारियों को किया जा सकता है। परन्तु यह राशि मृतक खातेदार के हिस्से के अनुरूप निर्धारित अनुदान के बराबर ही होगी।
10. **विवादित भूमि के संबंध में:**—कृषि आदान अनुदान राशि, आपदा से प्रभावितों को बोई गई फसल में 33 प्रतिशत से अधिक खराबे के कारण तात्कालिक सहायता के रूप में दी जाती है। इस अनुदान राशि दिये जाने में भूमि संबंधित विवाद में संबंधित पक्षकारों के विधिक अधिकारों पर विपरित प्रभाव नहीं होगा व मालिकाना हक का निर्धारण माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा।
11. **मन्दिर माफी भूमि:**—कृषि आदान अनुदान सहायता रिकॉर्डेड खातेदार के बैंक खाते में ऑनलाईन ही जमा करवाया जावे। यदि कोई ट्रस्ट बना हुआ है तो उसके खाते में कृषि आदान अनुदान राशि ऑनलाईन जमा करवाई जा सकती है।
12. **सरकारी सेवा में कार्यरत:**—व्यक्ति का नाम जमाबन्दी में खातेदारी/सहखातेदारी के मानदण्डानुसार दो हैक्टर तक जोत रखता है तो नियमानुसार कृषि आदान अनुदान का भुगतान किया जावेगा। काश्तकार की अन्य व्यवसाय से आय को अपात्रता का आधार नहीं बनाया जावेगा।
13. **बजट की मांग:**—जिला कलक्टर तहसीलदारों द्वारा अपनी तहसील के लिए काश्तकारों की वास्तविक संख्या सूची के अनुसार ही आवश्यक बजट की मांग किए जाने पर विभाग से बजट की ऑन लाइन मांग प्रेषित करेंगे एवं ऑनलाईन डिमांड में यह अंकित करेंगे कि "खसरा गिरदावरी के आधार पर आदान अनुदान के लिए तैयार की गई मूल पात्र किसानों की सूची के अनुसार ही ऑनलाईन बजट की मांग प्रस्तुत की गई है।" खसरा गिरदावरी प्रपत्र 7डी में अंकित किसानों की संख्या से अधिक कृषकों को भुगतान नहीं किया जावे। जिला कलक्टर बजट की मांग किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे कि प्रभावित काश्तकारों की तहसीलवार सूची एवं प्रभावित काश्तकारों के बैंक खातों का विवरण



(Details) तहसील स्तर पर यथा सम्भव पूर्ण हो चुका है। उक्तानुसार मांग किए जाने पर आवश्यक बजट का आवंटन किया जावेगा।

14. **बैंक खाता:**—समस्त भुगतान बैंक खातों के माध्यम से ऑनलाईन ही किया जावेगा, नकद कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा। जिन काश्तकारों के वर्तमान में बैंक खाते नहीं है, उनके नये खाते बैंक के माध्यम से खुलवाने होंगे जिसमें राशि ऑनलाईन ट्रान्सफर की जा सके।
15. जिला कलक्टर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जैसे-जैसे तहसील कार्यालय से प्रभावित काश्तकारों की सूची प्राप्त होती जावे, वैसे-वैसे, बिना विलम्ब के, उन काश्तकारों के बैंक खातों में देय राशि पे मेनेजर जरिए ऑनलाईन हस्तान्तरित की जावें। जिन काश्तकारों के पूर्व में बैंक खाते नहीं है, उनके खाते अपने स्तर पर नजदीकतम बैंक में खुलवाना सुनिश्चित करें। इस कार्य में राजस्व/कृषि/ग्रामीण विकास की एजेन्सियों द्वारा पूर्ण सहयोग किया जावेगा। इसके अतिरिक्त राजकीय राशि का बैंको के पास उपलब्ध रहना दुर्विनियोजन होगा।
16. यदि किसी जिले में पै मेनेजर सर्वर पर लोड से धीमा चले या उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया में वितरण की कार्यवाही में व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हो जावे तो ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर अपने सीसीबी में खुलवाये हुए बैंक खातों में कृषि आदान अनुदान मद की राशि जमा करवाकर सीसीबी के माध्यम से संबंधित काश्तकारों के बैंक खातों में आनलाईन राशि हस्तान्तरण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे परन्तु किसी भी स्थिति में उक्त राशि का आपरेटिव सोसायटी, जीएसएस, लेम्पस के माध्यम से अथवा नकद वितरित नहीं की जावेगी।
17. जो सूचियां कलक्टर द्वारा सीसीबी में भेजी जाएगी। वे सूचियां **Soft copy** में इस विभाग को साप्ताहिक रूप से भेजी जाएगी।
18. जिला कलक्टर इस हेतु बिन्दु संख्या 4 में दी गई प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात जो काश्तकार भुगतान हेतु पात्र पाये जाते है उन सूचियों को प्रभारी अधिकारी (सहायता) के माध्यम से सीसीबी को भेजेंगे। सीसीबी मुख्य शाखा द्वारा उस सूची में दिये गये आईएफएससी कोड वाले आधार नम्बर वाले खातों में राशि भुगतान की जाएगी।
19. जिला कलेक्टर लीड बैंक ऑफिसर्स के माध्यम से यह साप्ताहिक जानकारी प्राप्त करें कि जिन बैंकों को कृषकों के खातों में राशि डालने हेतु उपलब्ध कराई है वे खाते ऑपरेशनल हैं तथा यदि कोई खाता गलत है तो वह जानकारी भी बैंक से प्राप्त कर उसे दुरुस्त करवाएँ।
20. कृषकों के खातों में राशि जमा की साप्ताहिक सूचना जिला कलक्टर को उपलब्ध कराई जावेगी। जिला कलक्टर साप्ताहिक प्रगति से राज्य सरकार को अवगत कराएँगे। भुगतान पूर्ण होने पर जिला कलक्टर व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (विस्तृत व्यय विवरण) राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे। साथ ही, अवशेष राशि (यदि कोई हो) राज्य सरकार को संबंधित बजट मद में समर्पित करेंगे।

Wjro

भुगतान की कार्यवाही 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण करली जावें। सभी जिला कलक्टर किसी भी हालत में 30 अप्रैल, 2018 के पूर्व उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे।

यह सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।

Guro
20/3/18
शासन सचिव

प्रतिलिपि:-

1. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, मा0 आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री, राजस्थान।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, कृषि विभाग, जयपुर, राजस्थान।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, जयपुर, राजस्थान।

नि
शासन उप सचिव